राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 99/2023

डॉ. भागचन्द जैन (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेपी199717017018)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्रीमति रश्मि जैन, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चिकित्सा अधिकारी एम.डी. एनेस्थीसिया के पद पर सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जिला जयपुर में कार्यरत है। आलौच्य आदेश दिनांक 27.12.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण/पदस्थापन वर्तमान पदस्थापन स्थान से सीएचसी गंगरार चितौड़गढ में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी भी राजकीय सेवा में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में कार्यरत है तथा राज्य सरकार की नीति रही है कि पति–पत्नी दोनों के राजकीय सेवा में रहने पर उन्हें एक ही स्थान पर अथवा पास–पास कार्यरत रखा जावे। परंतु उक्त आदेश इस नीति के विपरीत जाकर पारित किया गया है, जो उचित नहीं है। उनका आगे तर्क है कि वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में चिकित्साधिकारी (एमडी एनिस्थीसिया) के कई पद रिक्त पड़े हुए है, फिर भी अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है तथा साथ ही एसएमएस चिकित्सालय में अपीलार्थी मेडिकल छात्रों को अध्यापन कार्य भी करते है, परंतु सीएचसी

गंगरार में केवल एनिस्थीसिया का कार्य ही कर सकेंगे। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का बेटा कक्षा 12 में जयपुर में अध्ययन कर रहा है, जिससे स्थानांतरण से बच्चे की पढाई का सेशन भी प्रभावित होगा।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 4 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 6 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)